उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-203/2017/3108/92-2-17-37जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 21 नवम्बर,2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

जनपद सुलतानपुर में दिनांक 07-05-2017 को मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम की सूचना होने के उपरान्त भी श्री राजकुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-फैजाबाद, जिनके पास अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर का भी अतिरिक्त कार्यभार था, निरीक्षण स्थल पर उपस्थित न होने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-72/2017/718//92-2-2017-37जांच/2017 दिनांक 11-05-2017 द्वारा श्री वर्मा को वर्ष 2017-18 के लिये परिनिन्दा का दण्ड प्रदान किया गया।

2- उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री राजकुमार वर्मा द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2017 प्रस्तुत करते हुये वर्ष 2017-18 के लिये दिये गये परिनिन्दा दण्ड को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। श्री वर्मा द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

(1) दिनांक 07-05-2017 को श्री वर्मा द्वारा जनपद फैजाबाद से संबंधित लम्बित अवमानना याचिका सं0-268(सी)/2017 श्री भानु प्रताप वर्मा बनाम श्री आर0के0 वर्मा, अधिशासी अभियंता, फैजाबाद व अन्य के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के शासकीय अधिवक्ता, श्री संतोष कुमार यादव (वारसी) के साथ उपस्थित रहकर प्रतिशपथ पत्र तैयार कराया गया, जो प्रतिशपथ पत्र लगभग सायंकाल 6 बजे दाखिल हो सका।

(2) दिनांक 07-05-2017 को श्री वर्मा द्वारा उक्त अवमानना याचिका का प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने के संबंध में लखनऊ में उपस्थित रहने की दशा में जनपद सुलतानपुर के सहायक अभियंता को मा0 मंत्री जी के निरीक्षण के समय उपस्थित रहने हेतु उनके द्वारा तत्परतापूर्वक निर्देश दिया गया था। इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट हो रहा है कि उनके द्वारा शासकीय आदेशों की अवहेलना नही की गयी।

3- श्री राजकुमार वर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2017 के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निरीक्षण दिनांक 07-05-2017 की सूचना पूर्व में प्राप्त होने की स्थिति में श्री वर्मा को यदि जिला मुख्यालय से बाहर किसी कार्यवश जाना भी था तो उनके द्वारा स्वयं न उपस्थित रहने की स्थिति में मा0 मंत्री जी के निरीक्षण दिनांक 07-05-2017 के संबंध में समुचित व्यवस्था किये जाने एवं संतुष्टि के उपरांत ही पी0आई0यू0/प्रखण्ड छोडना चाहिये था। उक्त के साथ ही श्री वर्मा द्वारा सहायक अभियंता को मा0 मंत्री जी के निरीक्षण के समय उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किये जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस प्रकार श्री राजकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री वर्मा का प्रत्यावेदन दिनांक 21-07-2017 बलहीन पाये जाने के कारण एतदद्वारा निरस्त करते निस्तारित किया जाता है।

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-203/2017/3108(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री राजकुमार वर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-फैजाबाद, (वर्तमान में सेवानिवृत्त) जिनके पास अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड'-सुलतानपुर का भी कार्यभार था, द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in